FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** SIRMAUR(NAHAN) **Year(वर्ष):** 2023
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0006 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 31/07/2023 02:19 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	467
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	120-B
6	ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955	7
7	ESSENTIAL COMMODITIES ACT, 1955	9

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** **Date From(दिनांक से):** **Date To(दिनांक तक):**
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date(दिनांक):** 31/07/2023 **Time (समय):** 01:19 PM

   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 006 **Time (समय):** 31/07/2023 01:19 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 02 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**

      (b) Address(पता):

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S(थाना का नाम): **District(State)(ज़िला(राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

   (a) Name(नाम): Tarnjeet Singh

   (b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 19/10/1972 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

   (e) UID No (यूआईडी सं.):

   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)

1	**Present Address**	VILLAGE-Nahan, PS-SIRMAUR(NAHAN), DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-PS. SVACB NAHAN, TEHSIL-NAHAN, PS:NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल** 91-9418471972

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address (वर्तमान पता)**	**Parmanent Address (स्थाई पता)**
1	Neelam Agarwal	Husband:Sh.Vijay Aggarwal	HOUSE NO-1827,STREET NAME-ward No. 06,COLONY-Naya Bazar,VILLAGE-Nahan,TEHSIL-Nahan,PS-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	HOUSE NO-1827,STREET NAME-ward No. 06,COLONY-Naya Bazar,VILLAGE-Nahan,TEHSIL-Nahan,PS-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Ajay Aggarwal	Father:Lt. Sh. Lal Chand Aggarwal		
3	officials of food and civil supply Kaffota Haripur Dhar Kupvi		HOUSE NO-FCS,COLONY-Food and Civil Supply Corp.,VILLAGE-Kaffota Kupvi Haripurdhar,TEHSIL-Nahan,PS-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	HOUSE NO-FCS,COLONY-Food and Civil Supply Corp.,VILLAGE-Kaffota Kupvi Haripurdhar,TEHSIL-Nahan,PS-NAHAN, DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (संपत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)**	**Nature Property (प्रकृति संपत्ति)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)**

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

शिकायत पत्र संख्या SV&ACB(R-SR) Comp.(NHN)-71/SR/2022 दिनांक 12-07-2022 की प्रारम्भिक जांच मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रभारी थाना, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो द्वारा अमल में लाई गई है । उक्त शिकायत पत्र की जांच रिपोर्ट, सम्वन्धित रिकॉर्ड सहित विजिलैंस मुख्यालय से अभियोग पंजीकृत करने के अनुमोदन सहित, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, दक्षिणी खण्ड शिमला से मुताविक पत्र पृष्ठांकन संख्या 5776 दिनांक 28.07.2023 प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार हैः- उपरोक्त शिकायत पत्र में श्रीमति नीलम अग्रवाल, मालिक मैसर्ज फ्लोर मिल नया बाजार नाहन, ट्रान्सपोर्टर श्री अजय कुमार तथा सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों पर निम्नलिखित आरोप लगाये हैः- 1. यह कि वित वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हि0प्र0 शिमला ने श्रीमति नीलम अग्रवाल M/S अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन को कुल 4347 मिट्रीक टन गेहूं पिसाई हेतु आबंटित की। तथा इसी वित वर्ष मे M/S वैष्णो फ्लोर मिल नाहन को 1100 मिट्रीक टन गेहूं पिसाई हेतु आवंटित की है। शिकायतकर्ता द्वारा बिजली विभाग से प्राप्त उपरोक्त फ्लोर मिलों द्वारा 12 महीने में प्रति माह के हिसाब से बिजली बिलो की गई अदायगी तुलनात्मक रिपोर्ट के आधार पर की है तथा दर्शाया है कि M/S वैष्णो फ्लोर मिल नाहन को आबटिंत गेहूं 1100 मिट्रीक टन की पिसाई की एवज में प्रति माह बिजली बिल अधिक आया है, जबकि M/S अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन द्वारा 4347 मिट्रीक टन गेहूं पिसाई के लिए बिजली का बिल कम आया है, जो कि संभव न है तथा आरोप लगाया कि M/S अग्रवाल फ्लोर मील नया बाजार नाहन ने आबंटित 4347 मिट्रीक टन गेहूं की पिसाई अपनी फ्लोर मिल मे न की है तथा अपने रिश्तेदारों व सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से उक्त गेहूं का दुर्पयोग किया गया है तथा ब्लैक मार्केट में बेचा गया है तथा अनुचित लाभ लिया है। 2. यह कि अजय कुमार ट्रांसपोर्टर नया बाजार नाहन ने मुताबिक डिलवरी/गेट पास न0 10420 दिनांक 22-07-2021 के गेहूं 110.62 क्विटिंल (220 बेग) भारतीय खाद्य निगम गोदाम कालाआम्ब से सिविल स्पलाई गोदाम राजगढ के लिए गाडी न0 HP71-6505 जिसकी लोडिंग क्षमता मुताबिक RC 74 क्विटिंल है , मे परिवहन मुताविक डिलिवरी चालान न0 61230 करना दर्शाया गया है तथा इसी ट्रक मे उसी दिन नाहन अग्रवाल फ्लोर मील से 112 क्विटिंल आटा मुताविक विल न0 5334 दिनांक 22.7.2021 के हरिपुरधार के लिए उठाया गया है जो कि 74 क्विटिंल लोडिंग क्षमता वाले ट्रक में इतना क्विटिंल भार

किसी भी सूरत में पहाडी क्षेत्र मे ले जाना असंभव है तथा गाड़ी की पहुंच दिनांक 24.07.2021 को दर्शाई गई है जबकि दिनांक 24.7.2021 को फिर से उसी ट्रक न0 HP71-6505 में 110.72 Qtl.गेहूं FCI काला अम्ब से मुताविक गेट पास न0 10476 दिनांक 24.7.2021 के उठाई गई है, जो कि सम्भव न है। 3. यह कि श्री अजय कुमार ट्रांसपोर्टर ने ट्रक न0 HP71-8505 में दिनांक 12-08-2021 को मुताबिक चालान न0 CSC-00046-0001027405 व GR NO 488 दिनांक 12-08-2021 के 240 बेग गेहूं वजन 120.71 क्विटिंल भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्ब से सिविल स्पलाई गोदाम जिला शिमला के कुपवी के लिए उठाया तथा गाड़ी की पहुंच दिनांक 13.08.2021 दर्शाई गई है जिस ट्रक की भार क्षमता 105 क्विटिंल है । अब उसी ट्रक न0 HP71-8505 में 36 क्विटिंल आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से मुताविक बिल संख्या 5366 व मुताविक GR NO 407 दिनांक 12.08.2021 के जिस गाड़ी की पहुंच पहले ही कुपवी में दिनांक 13.08.2021 दर्शाई गई है आटा डिलिवरी की पहुंच दिनांक 16.08.2021 दर्शाई गई है। इसी उपरोक्त गाड़ी ट्रक न0 HP71-8505 में 65-20 Qtls. आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से मुताविक बिल संख्या 5369 व मुताविक GR NO 410 दिनांक 14.08.2021 के उठाना दर्शाया गया है तथा पहुंच दिनांक 16.08.2021 कफोटा की दर्शाई गई है। इस प्रकार गेहूं और आटा की डिलिवरी तिथि 13.08.2021 व 16.08.2021 काल्पनिक दर्शाई गई है। इसी प्रकार अजय कुमार ट्रान्सपोर्टर ने मुताविक चालान न0 CSC-00046-0001027400 दिनांक 12.08.2021 व GR NO 486 दिनांक 12.08.2021 के 220 बोरी चावल वजन 109.22 Qtl. भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्ब से जिला शिमला के कुपवी के लिये उठाया तथा गाड़ी की पहुंच दिनांक 13.08.2021 को कुपवी में दर्शाई गई है। उसी ट्रक में 32 Qtls. आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से मुताविक बिल संख्या 5365 के पहुंच दिनांक 16.08.2021 को कुपवी में दर्शाई गई है।जबकि उसी उपरोक्त ट्रक न0 HP71-6505 में 282 बोरी आटा वजन 112.80 Qtls. मुताविक बिल संख्या 5372 दिनांक 14.08.2021 व GR NO 413 दिनांक 14.08.2021 के कुपवी लिये उठाया गया तथा पहुंच दिनांक 16.08.2021 को दर्शाई गई है। 4. यह कि श्री अजय कुमार ट्रांसपोर्टर ने मुताविक FCI Gate Pass No 969, 970, 981 व 989 दिनांक 20.09.2021 के कुल 835 बोरी गेहूं वजन 417.64 Qtls. भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्ब से नाहन डिपो के लिये अपने ट्रक न0 HP71-8605 उठाई। उसने 417.64 Qtls.गेहूं परिवहन करने लिये 03 फेरे काला आम्ब से नाहन के लगाये, जो यह कार्य उसने अफिसियल आवर्ज में किया है।जबकि अजय कुमार ने उसी ट्रक न0 HP71-8605 में 280 बैगज चावल वजनी 138.78 भारतीय खाद्य निगम गोदाम कालाअम्ब से मुताविक चालान न0 95988 व GR NO 1043 तथा FCI Gate Pass No.996 के सिविल स्पलाई गोदाम राजगढ के लिए उठाया है तथा पहूंच दिनांक 22.09.2021 दर्शाई गई है। M/S अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार द्वारा मुताविक बिल संख्या 5437 व GR NO 478 दिनांक 20.09.2021 के ट्रक न0 HP71-8605 में 227 बैगज आटा वजनी 90-80 Qtls. जिला शिमला के कुपवी के लिए उठाना झूठा दर्शाया गया है तथा पहूंच दिनांक 22.9.2021 को दर्शाई गई है। यही ट्रक न0 HP71-8605 दुबारा दिनांक 20.9.2021 को 60 बैगज आटा वजनी 24 Qtls.श्रीमति नीलम अग्रवाल की अन्य फ्लोर मिल M/S अग्रवाल फ्लोर मिल कालाआम्ब से मुताविक बिल संख्या 792 व GR NO 13151के राजगढ के उठाना दर्शाया गया है तथा डिलिवरी राजगढ में दिनांक 21.09.2021 दर्शाई गई है। ये सभी लेन देन झूठे, काल्पनिक, मनगढंत और सम्बन्धित सरकारी ऑफिसियलज के साथ उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा गढे हुए प्रतीत होते है।शिकायत पत्र की जांच के दौरान शिकायतकर्ता श्री रितेश अग्रवाल को शामिल जांच शिकायत पत्र करके उसका ब्यान कलमवन्द किया गया तथा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियन्त्रक, नाहन, जिला सिरमौर से शिकायत पत्र से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया । दौराने जांच, रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्तमान समय में जिला सिरमौर में 11 फ्लोर मिल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग जिला सिरमौर स्थित नाहन के अधीन काम कर रही है। जिन 11 में से एक मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन व मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल्स मैनथाप्पल कालाआम्ब भी उपरोक्त विभाग के अधीन काम कर रही है, जिन दोनों फ्लोर मिल को श्रीमति नीलम अग्रवाल पत्नि श्री विजय अग्रवाल नया बाजार नाहन चला रही है। वित वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से माह मार्च 2022 तक कुल 3551 मिट्रीक टन गेहूँ उपरोक्त मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन को विभाग द्वारा पिसाई हेतु आवंटित की गई है। मुताविक पत्र संख्या 1659 दिनांक 03.08.2022 के क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सिमित नाहन को वांछित रिकार्ड/सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सिमित नाहन के कार्यालय में जाकर भौतिक रुप से वित वर्ष 2021-22 में ट्रान्सपोर्टर/ठेकेदार श्री अजय अग्रवाल द्वारा भारतीय खाद्य निगम(FCI) गोदाम कालाअम्ब व मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन से जिला सिरमौर के विभिन्न सिविल सप्लाई गोदामों व जिला शिमला के कुपवी सिविल सप्लाई गोदाम में पहुँचाई गई खाद्य सामग्री (गेहूँ, चावल आटा) से सम्बन्धित रिकार्ड की तस्दीक की गई तथा वांछित रिकार्ड हासिल किया गया।जांच के दौरान श्रीमति नीलम अग्रवाल मालिक मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन व ट्रान्सपोर्टर श्री अजय कुमार को भी शामिल जांच करके पूछताछ अम्ल में लाई गई । पूछताछ पर श्रीमति नीलम अग्रवाल ने बतलाया कि इनकी फ्लोर मिल में बिजली की सप्लाई लोडिंग क्षमता अनुसार दो बिजली मीटर लगे है।पहले इस

फ्लोर मिल पर खुले बाजार की गेहूं व सरकारी गेहूं दोनों की पिसाई की जाती थी ,वर्तमान में अब सरकारी गेहूं की ही पिसाई की जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस फ्लोर मिल के एक ही बिजली मीटर के अदा किये गये बिजली बिलों की विवरणी हासिल की है तथा बिजली बिलों के आधार पर वैष्णों फ्लोर मिल नाहन से तुलना की है कि मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल को गेहूं का आवंटन अधिक हुआ है तथा बिजली बिल कम आया है जबकि दूसरे बिजली मीटर के बिलों की अदायगी की विवरणी हासिल न की है तथा उस पर लगाये आरोप झूठे है। श्रीमति नीलम अग्रवाल द्वारा वतलाये गये तथ्यों की पुष्टि करने के लिये मुताविक पत्र संख्या NESD-1/CS-14/2022-23/-703 Dated 05.11.2022 कार्यालय सहायक अभियन्ता, बिजली विभाग , उप मण्डल नाहन-1 से दोनों बिजली मीटरों की उपभोगता द्वारा अदा किये गये बिजली बिलों की विवरणी हासिल की गई । (पृष्ठ संख्या 259) प्राप्त रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि Con. ID 100011001912 के अनुसार अग्रवाल फ्लोर मिल का एक बिजली मीटर 1994 में लगाया गया है तथा दूसरा श्रीमति नीलम रानी के नाम से मुताविक Con. ID 100010002827 वर्ष 2016 में लगाया गया है। मुताबिक रिकॉर्ड अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन द्वारा Con. ID 100011001912 में वित वर्ष 2021-22 में 3,06,107/- रुपये तथा Con. ID 100010002827 में वित वर्ष 2021-22 में मुबलिग 45,623/- रुपये की बिजली बिलों की अदायगी की है। इस प्रकार अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 3,51,730/- रुपये बतौर बिजली बिल अदा किए हैं, जबकि वैष्णो फ्लोर मिल नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान 4,78,960/- रुपये बतौर बिल बिजली विभाग को अदा किए गए हैं। जाँच के दौरान वैष्णो फ्लोर मिल के मालिक श्री सुभाष चन्द बंसल को भी शामिल जाँच करके उसका ब्यान कलमबन्द किया गया जिसने अपने ब्यान में तैहरीर करवाया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी आटा मिल में 1462 मिट्रीक टन खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आंवटित गेहूं तथा 32.5 मिट्रीक टन गेहूं खुले मार्केट से खरीद कर पीसाई की गई है। इस प्रकार अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आवंटित कुल 3551 मिट्रीक टन गेहूं की पिसाई के लिये कुल 3,51,730/- रुपये बतौर बिजली बिल अदा किए हैं, जबकि वैष्णो फ्लोर मिल नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1462+32.5=1494.5 मिट्रीक टन गेहूं की पिसाई के लिये कुल 4,78,960/- रुपये बतौर बिल बिजली विभाग को अदा किए गए हैं। शिकायत पत्र की जांच के दौरान पता चला कि जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले जिला सिरमौर द्वारा भी किसी अन्य द्वारा प्रेषित शिकायत पत्र में उपरोक्त मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल को आवंटित गेहूं व मिल द्वारा Whole sale Godown को सप्लाई किये गये आटा की मात्रा के सन्दर्भ में जांच अम्ल में लाई गई है। जिस सन्दर्भ में मुताविक पत्र संख्या 2242 दिनांक 12.10.2022 के पत्राचार करके कार्यालय जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले जिला सिरमौर के मुताविक पत्र संख्या एफ0डी0एस0-4104 दिनांक 19.10.2022 के वांछित सूचना/ रिकार्ड हासिल किया गया(पृष्ठ संख्या 64)। जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले जिला सिरमौर ने अपनी रिपोर्ट में तैहरीर किया है कि निदेशक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले विभाग हि0 प्र0 शिमला से मै0 अग्रवाल फलोर मिल्स नया बाजार नाहन के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायत के बारे जांच करने के आदेश पत्र संख्या एफ0डी0एस0 एच0 (एफ)24/2014-II-सिरमौर-19563 दिनांक 30.08.2022 को जारी किये गये थे जिस सन्दर्भ में दिनांक 26.09.2022 को व्यक्तिगत सुनवाई बारे कहा गया तथा साथ ही क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0रा0ना0 आपूर्ति निगम सिमित नाहन को भी माह अप्रैल, 2021 से माह जून 2022 तक मैसर्ज अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन को आबंटित की गई की मात्रा के प्रति आटे की प्राप्ति की सूचना प्रेषित करने बारे पत्र प्रेषित किया गया। उक्त तथ्यों की छानबीन करने पर यह पाया गया कि मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन द्वारा माह जून 2022 में प्रेषित आटे की अंतशेष की सूचना तथा क्षेत्रीय प्रबन्धक, हि0प्र0रा0ना0 आपूर्ति निगम सिमित नाहन, से प्राप्त सूचना में अनियमितता पाई गई, जिसके कारण उक्त मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन की प्रतिभूति राशि जब्त करने के आदेश पारित किये गये।जांच के दौरान कव्जा में लिये गये रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि ट्रांस्पोर्टर अजय कुमार द्वारा दिनांक 22.07.2021 को FCI काला अम्व से राजगढ सिविल सप्लाई गोदाम में ले जाने के लिये मुताविक विल न. 61230 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न. 648, 110.62 क्विंटल गेहूं अपने ट्रक न. HP 71-6505 में लोड की थी । जिसकी पुष्टि FCI कालाअम्व के गेट पास न. 10420 दिनांक 22.07.2021 से हुई है । उक्त गेहूं की रसीदगी प्रभारी सिविल सप्लाई गोदाम राजगढ़ द्वारा जी आर न. 648 पर दिनांक 24.07.2021 की दर्शाई गई है । उक्त गेहूं की रसीदगी सिविल सप्लाई विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 27.07.2021 को दर्ज की गई है तथा विल दिनांक 22.07.2021 दर्ज किया गया है । दौराने जांच भारतीय खाद्य निगम (FCI) गोदाम काला अम्ब के रिकार्ड का भी भौतिक रुप से निरीक्षण किया गया तथा प्रबन्धक, डिपो काला अम्ब को लिखित में उक्त शिकायत पत्र की जांच में वांछित सूचना / रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारा पत्र प्रेषित किया गया तथा वांछित सूचना/रिकार्ड हासिल किया गया। प्राप्त किये गये रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रत्येक गाड़ी जो खाद्य सामग्री (गेहूं, चावल) आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम (FCI) गोदाम के गेट के अन्दर खाद्य सामग्री लोड करवाने हेतु प्रवेश करती है, उस गाड़ी का भारतीय खाद्य निगम गोदाम कालाअम्ब के

परिसर में स्थित धर्म कान्टा पर पहले खाली गाड़ी का वजन किया जाता है तथा गाड़ी के लोड होने की सूरत में भी वजन किया जाना पाया गया है तथा उसके उपरान्त ही गाड़ी का गेट पास जारी किया जाता है। धर्म कान्टा पर लगाये गये रजिस्टर को भी चैक किया गया जो इस रजिस्टर में की गई प्रविष्टियां खाद्य सामग्री(गेहूं,चावल) आवंटन के हिसाब से लोड करने हेतु भौतिक रुप से प्रवेश हुई गाड़ियों के ही गेट पास जारी करने पाये गये है। ठेकेदार/ट्रान्सपोर्टर अजय कुमार ने अपनी गाड़ियों से सम्बन्धित RCs पेश की है, जिस गाड़ी ट्रक न0 HP71-6505 की RC के अनुसार भार उठाने की क्षमता 12500 Kg तथा खाली ट्रक का भार 4675 Kg है जोकि क्विटिंल में भार उठाने की क्षमता 125 क्विटिंल बनती है। इसी प्रकार मुताविक RCs ट्रक न0 HP71-8505 व HP71-8605 के खाली ट्रक का भार 5360 Kg तथा भार उठाने की क्षमता 15700 Kg है इस प्रकार क्विटिंल में भार उठाने क्षमता 157 क्विटिंल बनती है। FCI गोदाम कालाआम्ब से प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन करने पर ट्रान्सपोर्टर द्वारा अपने उपरोक्त ट्रकों में खाद्य सामग्री(गेहूं,चावल) की ओवर लोडिंग न करनी पाई गई है। इस सन्दर्भ में वर्तमान में तैनात प्रभारी धर्म कान्टा श्री पवन कुमार का ब्यान भी कलमवन्द किया गया। जांच के दौरान कव्जा में लिये गये रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि अग्रवाल फ्लोर मिल द्वारा मुताविक विल न. 5334 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न. 381, 112 क्विटिंल आटा फ्लोर मिल नाहन से हरीपुरधार सिविल सप्लाई गोदाम तक पहुचांया है। तथा सिविल सप्लाई गोदाम हरीपुर धार के रिकॉर्ड के मुताविक उक्त आटा की रसीदगी दिनांक 24.07.2021 को विल न. 5334 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न.381 के मुताविक की गई है । जांच के दौरान पाया गया कि राजगढ़ व हरीपुरधार दोनों विपरीत दिशाओं में स्थित है तथा दोनों स्थानों में एक ही दिन (22.07.2021) में एक ही ट्रक HP 71-6505 में 110.62 क्विटल गेहू राजगढ व 112 क्विटल आटा हरीपुरधार पहुचांना सम्भव न है । भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्व के रिकार्ड़ के अनुसार ट्रक न. HP 71-6505 में दिनांक 22.07.2021 को गेहूं राजगढ ले जाने के प्रर्याप्त साक्ष्य हैं परन्तु अग्रवाल फ्लोर मिल से 112 क्विटल आटा सिविल सप्लाई स्टोर हरिपुरधार पहुचांने के विल न. 5334 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न. 381 के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त दोनों दस्तावेज मिल मालिक नीलम अग्रवाल द्वारा ही तैयार किये गये हैं । दिनांक 24.07.2021 को अजय अग्रवाल द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग गोदाम काला अम्व से ट्रक न. HP 71-6505 में 110.72 क्विटंल गेहूं नाहन ले जाने के भी प्रर्याप्त साक्ष्य उपलव्ध हैं । जबकि दिनांक 24.7.2021 को उसी ट्रक न. HP71-6505 में 110.72 Qtl. गेहूं FCI काला अम्ब से मुताविक गेट पास न. 10476 दिनांक 24.7.2021 के उठाई गई है, जो कि सम्भव न है। शिकायत पत्र की जांच के दौरान भारतीय खाद्य निगम सिमित गोदाम काला अम्व से प्राप्त किये गये रिकॉर्ड के मुताविक दिनाकं 12.08.2021 को ट्रक न0 HP71-8505 में मुताविक गेट पास न. 1743 व चालान न0 CSC-00046-0001027405 व GR NO 488 के 120.71 क्विटिंल गेहूं भारतीय खाद्य निगम गोदाम कालाअम्ब से सिविल सप्लाई गोदाम जिला शिमला के कुपवी के लिए प्रेषित किया गया है तथा उक्त गेहूं की रसीदगी दिनांक 13.08.2021 को सप्लाई गोदाम कुपवी में दर्शाई गई है । अग्रवाल फ्लोर मिल द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग को प्रेषित किये गये बिल संख्या 5366 व मुताविक GR NO 407 दिनांक 12.08.2021 के मुताविक इसी ट्रक में 36 क्विटिंल आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से कुपवी पहुचांना दर्शाया गया है तथा उक्त आटे की रसीदगी प्रभारी खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी द्वारा दिनांक 16.08.2021 को दर्शाई गई है । इस प्रकार मुताविक रिकॉर्ड गेहूं व आटे की सप्लाई दिनांक 12.08.2021 को ट्रक नम्वर HP71-8505 में खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी के लिये की गई है जवकि दोनों खाद्यान्नों की पहुचं अलग-2 तिथियों में दर्शाई गई है । दिनांक 12.08.2021 को अजय अग्रवाल द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग गोदाम काला अम्व से ट्रक न. HP 71-8505 में 120.71 क्विटंल गेहूं कुपवी ले जाने के भी प्रर्याप्त साक्ष्य उपलव्ध हैं । परन्तु 36 क्विटिंल आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से कुपवी पहुचांने के फ्लोर मिल द्वारा विभाग को प्रेषित किये गये विल व जी.आर. के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसी प्रकार भारतीय खाद्य निगम सिमित गोदाम काला अम्व से प्राप्त किये गये रिकॉर्ड के मुताविक अजय कुमार ट्रान्सपोर्टर ने मुताविक गेट पास न. 7740 दिनाकं 12.08.2021 व मुताविक चालान न0 CSC-00046-0001027400 दिनांक 12.08.2021 व GR NO 486 दिनांक 12.08.2021 के ट्रक नम्वर HP 71-6505 में 220 बोरी चावल वजन 109.22 Qtl. भारतीय खाद्य निगम गोदाम कालाअम्ब से जिला शिमला के कुपवी के लिये उठाया तथा खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी में गाड़ी की पहुंच दिनांक 13.08.2021 को दर्शाई गई है । इसके अतिरिक्त मुताविक रिकार्ड उसी ट्रक में 32 Qtls. आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से मुताविक बिल संख्या 5365 व जी आर न. 406 दिनांक 12.08.2021 में भेजा है जिसकी रसीदगी दिनांक 16.08.2023 को कुपवी में दर्शाई गई है। जबकि उसी उपरोक्त ट्रक न0 HP71-6505 में 282 बोरी आटा वजन 112.80 Qtls. मुताविक बिल संख्या 5372 दिनांक 14.08.2021 व GR NO 413 दिनांक 14.08.2021 के कुपवी लिये उठाया गया तथा पहुंच दिनांक 16.08.2021 को दर्शाई गई है। इस प्रकार मुताविक रिकॉर्ड चावल व आटे की सप्लाई दिनांक 12.08.2021 को ट्रक नम्वर HP71-6505 में खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी के लिये की गई है जवकि दोनों खाद्यान्नों की पहुचं अलग-2 तिथियों में दर्शाई गई है । दिनांक 12.08.2021 को अजय अग्रवाल द्वारा खाद्य आपूर्ति विभाग गोदाम काला अम्व से ट्रक न. HP 71-6505 में 112.80 क्विटंल आटा कुपवी ले जाने के भी प्रर्याप्त साक्ष्य उपलव्ध हैं । परन्तु 32 क्विटिंल आटा M/S अग्रवाल फ्लोर मिल से कुपवी

पहुचांने के फ्लोर मिल द्वारा विभाग को प्रेषित किये गये विल व जी.आर. के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि उसी उपरोक्त ट्रक न. HP71-6505 में 282 बोरी आटा वजन 112.80 Qtls. मुताविक बिल संख्या 5372 दिनांक 14.08.2021 व GR NO 413 दिनांक 14.08.2021 के कुपवी लिये उठाया गया तथा पहुंच दिनांक 16.08.2021 को दर्शाई गई है। जांच के दौरान पाया गया कि नीलम अग्रवाल के नाम पर दो फ्लोर मिल पंजीकृत है । इसकी एक फ्लोर मिल नाहन मे है तथा दूसरी फ्लोर मिल काला अम्व में स्थित है । जव भी भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्व से गेहूं किसी भी फ्लोर मिल में पिसाई के लिये जाता है तो गेहूं हिमाचल प्रदेश नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम नाहन के नाम पर ही गेहूं जारी की जाती है। दिनांक 20-09-2021 को FCI गोदाम कालाआम्ब से आबंटन के आधार पर मुताबिक गेट पास न. 969, 970, 981, 989 के गेहूं 417.64 क्विटिंल अग्रवाल फ्लोर मिल कालाआम्ब मे पिसाई हेतू ट्रक न0 HP71-8605 मे लोड करके ढोया था जो यह फ्लोर मिल FCI गोदाम कालाआम्ब से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसी दिन दिनांक 20-09-2021 को FCI कालाआम्ब से चावल 138.78 क्विटिंल मुताविक चालान न0 95988 व GR NO 1043 तथा FCI Gate Pass No 996 के उक्त ट्रक मे लोड करके राजगढ भेजा गया था तथा कालाआम्ब मिल से 24 क्विटिंल आटा भी मुताबिक GR NO. 13151 के राजगढ भेजा गया था । चावल की रसीद खाद्य आपूर्ति गोदाम राजगढ मे दिनांक 22.09.2021 को दर्शाई गई है जवकि उसी ट्रक में ले जाये गये आटा 24 क्विटिंल की रसीदगी 21.09.2021 को दर्शाई गई है । इस प्रकार दोनों खाद्यान्न एक ही दिन एक ही गोदाम में प्रेषित किये गये जवकि रसीदगी की तिथियां अलग-2 अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 20.09.2021 को ही M/S अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार द्वारा मुताविक बिल संख्या 5437 व GR NO 478 दिनांक 20.09.2021 के ट्रक न0 HP71-8605 में 227 बैगज आटा वजनी 90.80 Qtls. जिला शिमला के कुपवी के लिये ले जाना दर्शाया गया है जिसकी रसीद्‌गी खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी में दिनांक 20.09.2021 को दर्शाई गई है,जो की संम्भव न है।शिकायत पत्र की जांच के दौरान पाया गया कि नीलम अग्रवाल पत्नि श्री विजय अग्रवाल निवासी नया बाजार नाहन के नाम पर दो फ्लोर मिलें है जो एक मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार नाहन तथा दूसरी मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल के नाम से मैनथापल कालाआम्ब में स्थित है, जिन दोनों फ्लोर मिलों में सरकारी गेहूं की पिसाई की जा रही है तथा जिला नियन्त्रक,खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोगता मामले जिला सिरमौर के अधीन कार्य कर रही है। मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल नया वाजार नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आवंटित कुल 3551 मिट्रीक टन गेहूं की पिसाई के लिये कुल 3,51,730 /- रुपये बतौर बिजली बिल अदा किए हैं, जबकि वैष्णो फ्लोर मिल नाहन द्वारा वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान 1462+32. 5=1494.5 मिट्रीक टन गेहूं की पिसाई के लिये कुल 4,78,960/- रुपये बतौर बिल बिजली विभाग को अदा किए गए हैं।इससे प्रतीत होता है कि मै0 अग्रवाल फ्लोर मिल नया वाजार नाहन द्वारा मिल को आवंटित पूर्ण गेहूं की पिसाई न की गई है । भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्व के रिकाड़ के अनुसार ट्रक न. HP 71-6505 में दिनांक 22.07.2021 को गेहूं राजगढ ले जाने के प्रर्याप्त साक्ष्य हैं परन्तु अग्रवाल फ्लोर मिल से उसी दिन 22.07.2021 को 112 क्विटल आटा सिविल सप्लाई स्टोर हरिपुरधार पहुचांने के सन्दर्भ में विल न. 5334 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न. 381 के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त दोनों दस्तावेज मिल मालिक नीलम अग्रवाल द्वारा ही तैयार किये गये हैं । भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्व के रिकाड़ के अनुसार ट्रक न. HP 71-6505 में दिनांक 22.07.2021 को गेहूं राजगढ ले जाने के प्रर्याप्त साक्ष्य हैं परन्तु अग्रवाल फ्लोर मिल से उसी दिन दिनांक 22.07.2021 को 112 क्विटल आटा सिविल सप्लाई स्टोर हरिपुरधार पहुचांने के सन्दर्भ में विल न. 5334 दिनांक 22.07.2021 व जी आर न.381 के अतिरिक्त कोई रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त दोनों दस्तावेज मिल मालिक नीलम अग्रवाल द्वारा ही तैयार किये गये हैं ।भारतीय खाद्य निगम गोदाम काला अम्व के रिकाड़ के अनुसार ट्रक न. HP71-8605 में दिनांक 20.09.2021 को चावल 138.78 क्विटिंल मुताविक चालान न0 95988 व GR NO 1043 तथा FCI Gate Pass No 996 के राजगढ प्रेषित करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलव्ध हैं परन्तु उसी ट्रक में दिनांक 20.09.2021 को 24 क्विटिंल आटा भी मुताबिक GR NO. 13151 राजगढ ले जाने के सन्दर्भ मे मिल मालिक द्वारा तैयार किये गये रिकॉर्ड के अतिरिक्त कोई साक्ष्य उपलव्ध नही हैं । इसके अतिरिक्त जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 20.09.2021 को ही M/S अग्रवाल फ्लोर मिल नया बाजार द्वारा मुताविक बिल संख्या 5437 व GR NO 478 दिनांक 20.09.2021 के ट्रक न0 HP71-8605 में 227 बैगज आटा वजनी 90.80 Qtls. जिला शिमला के कुपवी के लिये ले जाना दर्शाया गया है जिसकी रसीदगी खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी में दिनांक 20.09.2021 को दर्शाई गई है, जो की संम्भव न है ।जांच के दौरान पाया गया कि जो भी खाद्यान्न खाद्य आपूर्ति निगम के काला अम्व गोदाम से विभिन्न वितरण गोदामों तक ट्रांसपोर्टर अजय अग्रवाल द्वारा पहुचांया गया है उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है परन्तु जो भी आटा मै.अग्रवाल फ्लोर मिल द्वारा विभिन्न वितरण गोदामों तक पहुचांया है उसमें अनियमितता है । इस प्रकार जांच के दौरान पाया गया कि मै. अग्रवाल फ्लोर मिल नया वाजार नाहन द्वारा मिल को आवंटित पूर्ण गेहूं की पिसाई न की गई है तथा श्रीमति नीलम अग्रवाल ने अजय अग्रवाल के साथ व खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी, खाद्य आपूर्ति गोदाम राजगढ, खाद्य आपूर्ति गोदाम हरिपुरधार के प्रभारियों के साथ मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार करके सरकारी कोष

को हानि कारित की है।अतः श्रीमति नीलम अग्रवाल ने श्री अजय अग्रवाल ट्रांसपोर्टर व खाद्य आपूर्ति गोदाम कुपवी, राजगढ व हरिपुरधार के प्रभारियों के साथ मिलीभगत करके झूठा रिकॉर्ड तैयार किया तथा मिल से आटे की पहुचं सिर्फ रिकार्ड में ही दर्शाई है । अतः प्रथम दृष्टया में उपरोक्त सभी के विरूद्ध अपराध धारा-420,467,468,471,120-B IPC & 7,9 The Essential Commodities Act, 1955 के अन्तर्गत घटित होना पाया जा रहा है। कार्यवाही अज थानाः- शिकायत पत्र उपरोक्त से मामला अन्तर्गत धारा 420,467,468,471,120-B IPC & 7,9 The Essential Commodities Act, 1955 का घटित होना पाया गया। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरी प्रतियां तैयार की जा रही हैं। जो अवलोकनार्थ उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही हैं। FIR को ही Special Report समझा जाए। FIR की प्रति इसी समय बदस्त आरक्षी विरेन्द्र कुमार के सूचनार्थ माननीय न्यायालय की सेवा में भेजी जा रही है तथा मिसल मुकदमा तैयार करके आगामी अन्वेषण हेतू निरीक्षक अश्वनी कुमार को दी जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Ashwani Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)
No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)
Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Tarnjeet Singh
Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1973				
2	Male	1964				
3	Unknown					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)